

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष, यू.टी.डी./प्रभारी अध्ययन संस्था  
मा.च.रा.प.एवं.सं. विश्वविद्यालय  
भोपाल (म.प्र.)

**जनवरी, 2010 सत्र के नामांकन/रजिस्ट्रेशन के संबंध में अधिसूचना।**

सत्र जनवरी, 2010 में विश्वविद्यालय के M.Sc.(IT), M.Sc.(CS), BCA, B.Sc.(IT), PGDCA, DCA पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों के फार्म संबंधित अध्ययन संस्था/यू.टी.डी. द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन भरे जावेंगे। यू.टी.डी./अध्ययन संस्था को अनिवार्यतः ऑनलाइन भरे गए फार्म (नामांकन/रजिस्ट्रेशन) के प्रिन्ट साथ निर्धारित प्रपत्र में भी नामांकन फार्म भरवा कर अभिप्रमाणित कर भेजना है। नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.mcu.ac.in) पर भी उपलब्ध है और उसका उपयोग संस्था/अभ्यर्थी द्वारा किया जा सकता है, सुलभ संदर्भ के लिए नामांकन फार्म की प्रति संलग्न है।

नामांकन (Enrolment)/ रजिस्ट्रेशन फार्म ऑनलाइन जमा करने और तदोपरान्त मैनुअल फार्म निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करते समय कृपया निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें/निर्देशों का पालन करें :-

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी अध्ययन संस्था तथा विश्वविद्यालय सभी शिक्षण विभागों में प्रवेशित सभी छात्रों के नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा होंगे। नामांकन फार्म एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से भरे जावेंगे जिसका पोर्टल (www.mponline.gov.in) है।
2. नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म भरने की अंतिम तारीख 15 मार्च 2010 है। नामांकन/रजिस्ट्रेशन शुल्क भी केवल ऑनलाइन के माध्यम से 01.02.2010 से 15.03.2010 तक रात्रि 12 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा। इसके पश्चात ऑनलाइन फार्म जमा प्रक्रिया बंद हो जायेगी।
3. नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र (ऑनलाइन एवं मैनुअल) में वांछित सभी प्रविष्टियां स्पष्ट अक्षरों में सही सही भरी जायें और कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ें। साथ ही छात्र का सही फोटो ही ऑनलाइन फार्म में अपलोड किया जाये फार्म भरने के उपरांत ऑनलाइन पेमेन्ट करने (जमा करने) के पूर्व सभी प्रविष्टियां एवं फोटो चैक की जावे।
4. ऑनलाइन नामांकन/रजिस्ट्रेशन फार्म जमा प्रक्रिया में केवल पेड (भुगतान हो चुके) फार्म ही जमा माने जायेंगे। अनपेड फार्मों (जिनका ट्रांजेक्शन आई.डी. जनरेट नहीं हुआ हो) के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी न ही नामांकन मान्य किया जाएगा।
5. ऑनलाइन द्वारा जमा प्रत्येक नामांकन फार्म के प्रिन्टआउट के साथ मैनुअल नामांकन फार्म में विद्यार्थी की फोटो और पात्रता परीक्षण हेतु आवश्यक सभी प्रमाण पत्र/दस्तावेज जो राजपत्रित अधिकारी/नोटरी/सरपंच द्वारा सत्यापित हो विश्वविद्यालय (नामांकन शाखा) में अनिवार्यतः नियत तिथि तक भेजें। ध्यान रखें कि यदि छात्र का फार्म ऑनलाइन नहीं भरा गया है तो मैनुअल नामांकन फार्म और पात्रता दस्तावेज मान्य नहीं होंगे और न ही छात्र का नामांकन किया जावेगा।
6. विश्वविद्यालय में नामांकन फार्म मय पात्रता दस्तावेज पहुंचाने की अंतिम तारीख 22 मार्च 2010 है।
7. वांछित पाठ्यक्रमों में नामांकन/रजिस्ट्रेशन हेतु Govt./AIU/UGC की मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अर्हताधारी परीक्षा का प्रमाण पत्र और अंकसूची तथा 10+2 की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति नामांकन फार्म के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें। फर्जी बोर्ड/ विश्वविद्यालय की सूची UGC तथा AIU की वेबसाइट पर देखी जा सकती है ऐसी संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को कदापि प्रवेश न दें। विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा की समकक्षता विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हताधारी परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा तथापि विश्वविद्यालय द्वारा समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा प्रवेश प्रदान करने/न करने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा जो अंतिम होगा।

8. यदि किसी छात्र के अध्ययन में कोई अंतराल (Gap) है, तो संबंधित अवधि को स्पष्ट करने वाले शपथ-पत्र की मूल प्रति संलग्न करें।
9. मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र एवं विश्वविद्यालय/बोर्ड के माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति प्रपत्र के साथ संलग्न की जाए।
10. विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/अध्ययन संस्था विद्यार्थी को प्रवेश देते समय यह सुनिश्चित कर लेवें कि विद्यार्थी नामांकन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि को अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण हो। जो विद्यार्थी सप्लीमेन्ट्री या बैकलॉग परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उन्हें प्रवेश न दिया जाए। नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत अर्हता परीक्षा की अंकसूची में छपी तिथि के आधार पर ही प्रवेश मान्य/अमान्य किया जावेगा।
11. नामांकन प्रपत्र में निर्दिष्ट स्थान पर संबंधित अभ्यर्थी का सही फोटो चस्पा किया जाए। फोटो के नीचे दिये गये स्थान पर संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हों।
12. विभागाध्यक्ष/संस्था प्रभारी ऑनलाइन भरे गए नामांकन फार्म के प्रिन्ट के साथ नामांकन/ रजिस्ट्रेशन फार्म को अंग्रेषित एवं अभिप्रमाणित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियों की गई हैं और यह भी कि प्रदत्त जानकारी एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता की पुष्टि कर ली गई है तत्पश्चात् ही अनिवार्यतः नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र में संस्था/विभाग का नाम, कोड क्रमांक की मुद्रा, प्रभारी के हस्ताक्षर के साथ नामांकन फार्म भेजें। विद्यार्थी की प्रवेश अर्हता पूर्ती के परीक्षण का पूर्ण दायित्व विभागाध्यक्ष/अध्ययन संस्था प्रभारी का होगा।
13. विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु कृपया रेगूलेशन 18 में प्रावधानानुसार नामांकन एवं प्रवेश पृष्ठ 10-11 पर बिन्दु 5 का अक्षरक्षः पालन सुनिश्चित करें।
14. ऑनलाइन फार्म भरते समय छात्र का नाम, माता/पिता, पति का नाम, अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में भरे तथा स्थायी पता दूरभाष, अनिवार्य योग्यता आदि का उल्लेख अवश्य करें। विद्यार्थी के नामांकन हेतु 10+2 की अंकसूची में मुद्रित नाम को ही विश्वविद्यालय द्वारा मान्य किया जाएगा। सरनेम परिवर्तन की दशा में स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र नामांकन फार्म के साथ संलग्न करें।
15. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से ज्यादा प्रवेश न दें। निर्धारित सीट से ज्यादा नामांकन फार्म किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होंगे। सभी नामांकन फार्म, नामांकन क्रमांक के अनुक्रम में जमाकर सूची के साथ भेजे जाएं।
16. एक बार छात्र का किसी पाठ्यक्रम में नामांकन फार्म ऑनलाइन जमा होने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।
17. विश्वविद्यालय में नामांकन/रजिस्ट्रेशन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् नामांकन/ रजिस्ट्रेशन शुल्क वापस नहीं होगा।
18. संबद्ध संस्था यह भी सुनिश्चित करे कि नामांकन/रजिस्ट्रेशन प्रपत्र एवं ऑनलाइन भरे गए फार्म का प्रिन्ट वांछित दस्तावेज के साथ पृथक बंद लिफाफे में सहायक कुलसचिव (नामांकन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, ई-8 त्रिलंगा नगर, शाहपुरा, पो.बा-आर.एस.एन-560, भोपाल-462039 के नाम से ही भेजें तथा लिफाफे पर नामांकन शाखा अवश्य अंकित करें।

#### प्रतिलिपि-

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.                                       | परीक्षा नियंत्रक |
| 2. कुलसचिव, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.  |                  |
| 3. परीक्षा शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.   |                  |
| 4. गोपनीय शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.  |                  |
| 5. सहा. कुलसचिव, अ.के. पंजीयन शाखा, मा.च.रा.प.एवं संचार वि.वि.                        |                  |
| 6. प्रमुख वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।    |                  |
| 7. प्रबंधक, क्रिस्प (CRISP) भोपाल को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु। |                  |

#### संलग्न-

1. नामांकन/पंजीयन फार्म का प्रारूप
2. नामांकन/पंजीयन हेतु अर्हता बावत् फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची (Annex 'A')

परीक्षा नियंत्रक

कंप्यूटर कोर्सेस (जुलाई एवं जनवरी सत्र हेतु)			
1	मास्टर ऑफ साइंस (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) [M.Sc.(IT)]	2 वर्ष	10+2 with Graduation in (B.E. B.Tech, B.I.T, BCA, B.Sc.(IT) B.Sc. (Computer) or Graduation with PGDCA/Mig/Gap
2	मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) [M.Sc.(CS)]	2 वर्ष	10+2, Graduation, Mig/Gap
3	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन [BCA]	3 वर्ष	*10+2 Mig/Gap
4	बैचलर ऑफ साइंस (इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) [B.Sc.(IT)]	3 वर्ष	**10+2 with Maths, Mig/Gap
5	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [PGDCA]	1 वर्ष	10+2 with Graduation
6	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA]	1 वर्ष	10+2

\* नोटिफिकेशन क्र. Reg./5332 दिनांक 01.12.2008 अनुसार—

बीसीए पाठ्यक्रम हेतु अर्हता 10+2 में न्यूनतम अंक सामान्य वर्ग (Gen.) व ओबीसी (OBC) के लिए 50% एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के लिए न्यूनतम 45% है (जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है)। फिजिकल हेण्डिकेप्ट जो PWD Act. में परिभाषित हो के लिए 45% (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

\*\* नोटिफिकेशन क्र. अका/09/3445 दिनांक 18.08.2009 अनुसार—

बीएससी (आई.टी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु डिप्लोमा में उच्च गणित एक विषय के रूप में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं इसके अभिप्रमाणन हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी के माध्यम से छात्र को घोषणा करनी होगी।

### परीक्षा नियंत्रक

नोट—

- 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है पुरानी पद्धती से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा।
- प्रवेश हेतु अर्हता अनुसार वांछित समस्त अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां नामांकन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

